International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

"भारतीय संविधान का विकास: भारतीय चार्टर अधिनियम -1813 के विशेष संदर्भ में"

संध्या निर्वेल

शोध सारांश:

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में चार्टर अधिनियम लागू किये थे। इन्हीं चार्टर अधिनियमों में 1813 का अधिनियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा। चीन कें साथ व्यापारिक एकाधिकार छोड़कर कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत के आर्थिक स्तर में बहुत गिरावट हुई। भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत होने से भारत के कुटीर व लघु उद्योगों का पतन होना आरंभ हो गया और भारत का बाह्य तथा आंतरिक व्यापार भी पुरी तरह से ब्रिटेन के हाथों में चला गया। इस अधिनियम के प्रावधानों में ईसाई धर्म के प्रचार -प्रसार की छूट दी गई जिससे भारत में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए एक लाख रू. की बात की गई। अंग्रेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार स्वयं के लाभ के लिए चाहते थे। इस अधिनियम के प्रावधानों पर नेपोलियन के महाद्वीपीय सिद्धांत, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस तथा ब्रिटेन के पूंजीपति व्यापारिक वर्ग का प्रभाव दिखाई देता है।

मूल शब्द- चार्टर अधिनियम, भारत, अंग्रेजी, शिक्षा, ईसाई, प्रचार, सरकार।

प्रस्तावना :-

1813 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक विकास में दूसरा चार्टर अधिनियम था। 'चार्टर' अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कागज़ या उस पर लिखी कोई चीज। यह राजलेख 'चार्टा' का आधुनिक रूप हैं।

13 वीं शताब्दी से इस शब्द का प्रयोग वैधानिक विशेषाधिकार के लिए होने लगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के पहले 1773 का चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट का इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट तथा 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था |

➢ **1813 के चार्टर एक्ट में निम्न मुख्य प्रावधान किए गए थे -**

1. भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत की गई तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया गया सिर्फ चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा।
2. भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया।
3. ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार - प्रसार की छूट दे दी गई।
4. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी किया गया।

5. 20 वर्षों के लिए कम्पनी के भारत में राजस्व का नियंत्रण का अधिकार बढ़ाया गया।
6. ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों के भारत आने तथा बसने की अनुमति प्रदान की गई लेकिन इनके लिए संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था।
7. भारतीय साहित्य के नवीनीकरण और विज्ञान के उत्थान हेतु वित्तीय प्रावधानों को शामिल किया गया।[1]
1813 में कम्पनी के चार्टर के समय कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाने को लेकर बहुत वाद -विवाद हुआ| कम्पनी का भारतीय साम्राज्य बहुत बड़ गया था, अब कम्पनी के लिए व्यापारिक तथा राजनैतिक अधिकारी के रूप में कार्य करना संभव नहीं था|

दूसरी तरफ समकालीन 'लेसस फेयर' (Laissez-faire) की नीति तथा 'नेपोलियन के महाद्वीपीय पद्धति'(Continental theory) के प्रभाव से अंग्रेजों का यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण ब्रिटेन का व्यापारी वर्ग कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के पक्ष में थे।[2]

➢ **1813 के चार्टर अधिनियम पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक-**

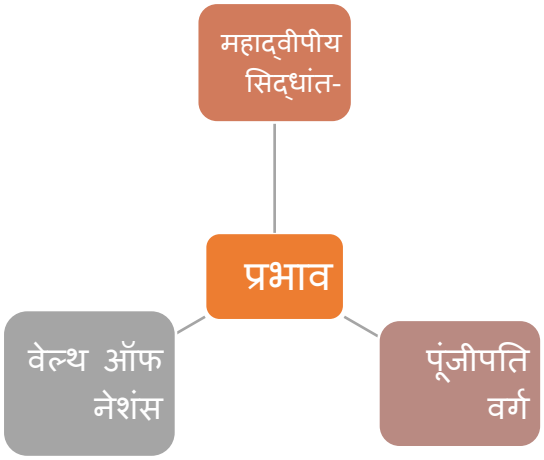

1) नेपोलियन के महाद्वीपीय सिद्धांत-
तात्कालीन समय में नेपोलियन ने अपनी श्रेष्ठता पुरे यूरोप में साबित कर दी थी, लेकिन "ट्रेफ्गलर के युद्ध" (1805) में ब्रिटिश नेवी से पराजित हो गया। नेपोलियन अपनी पराजय का कारण ब्रिटेन की नौसेना को मानता था इसीलिए नेपोलियन अब ब्रिटेन की स्थिति को कमजोर करने की दिशा में कार्य करने लगा। नेपोलियन यह जानना था कि ब्रिटेन की शक्तिशाली नौसेना का सामना करना आसान नहीं हैं लेकिन उसके व्यापारिक लाभ को कम करके उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सकता है। इसीलिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय सिद्धांत लागू किया जिसके तहत यूरोप के सभी देशों को ब्रिटेन से व्यापार करने से रोक दिया। जिससे ब्रिटेन का व्यापार धीरें - धीरे अवरुद्ध होने लगा, कम्पनियाँ बंद होने लगी, लोग बेरोजगार होने लगे इसके परिणामस्वरूप भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत की गई।[3]

2) एडम स्मिथ की पुस्तक "वेल्थ ऑफ नेशंस" –

1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक "वेल्थ ऑफ नेशंस " में लेसस-फेयर (Laissez-faire) / मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया गया था। जिसके अनुसार व्यापार पर किसी प्रकार कोई बंधन नहीं होना चाहिए बल्कि व्यापार को अबाध गति से विस्तार के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए|

वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में एक बात यह कही गई थी कि सप्लाई अपनी डिमांड स्वयं बना लेती है। (मुक्त व्यापार की शुरुआत होने से बहुत बड़ी मात्रा में तैयार माल ब्रिटेन से भारत आने लगा)|[4]

3) ब्रिटेन के उत्पादक पूंजीपति वर्ग का प्रभाव-

18 वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में भारतीय सूती वस्त्रों का कब्जा था जिस पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एकाधिकार था। किंतु पूँजीपति वर्ग की रूचि ईस्ट इन्डिया कंपनी से विपरित थी क्योंकि इन्हें भारत से आयात नहीं निर्यात करना चाहते थे। भारत में ब्रिटिश कपास के उत्पादों का निर्यात 1794 में 156 पाउंड से बढकर 1813 में लगभग 1,10,000 पाउंड हो गया, यानी 700 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही नेपोलियन के महाद्वीपीय सिद्धांत के कारण हुए व्यापारिक नुकसान के कारण ब्रिटेन के उत्पादक पूँजीपति वर्ग ने ब्रिटेन की संसद पर दबाव बनाना प्रारंभ किया, कि भारत का व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोला जाए तथा मुक्त व्यापार की शुरूआत की जाए।[5]

➢ **1813 के अधिनियम का भारत पर प्रभाव -**

1)1813 के अधिनियम के तहत भारत में मुक्त व्यापार की शुरूभात की गई, अब भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त पुरे ब्रिटेन से व्यापार होने लगा। अब ब्रिटेन से आने वाला सामान की तादाद बढने लगी थी जिसके परिणामस्वरूप भारत के उद्योगों का पतन होने लगा क्योंकि भारतीय सामान की अपेक्षा ब्रिटिश सामान सस्ता था। भारत ब्रिटेन का आयात देश के साथ अब निर्यात उपभोक्ता देश बन गया। ब्रिटेन के व्यापारी भारत से कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदकर उसे मशीनों द्वारा तैयार करवाकर फिर तैयार माल को भारत में ही बेचते थे।)[6]

2)1813 के अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिये 1 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी जिसके पिछे ब्रिटिशों का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग तैयार करना था ताकि ब्रिटिशों को छोटे कर्मचारियों की व्यवस्था भारत में ही हो जाए। वे अंग्रेजी पढा लिखा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिश हितों की सेवा करने में सक्षम हो और उनके प्रति वफादार रहे। ब्रिटिश अधिकारी मैकॉले ने अनुसार “हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ो लोगो के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषिये का काम कर सके; यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रूचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज़ हो”। इस सोच के विपरित अंग्रेजी पढ़कर भारतीयों ने दूसरे देशों की स्वतंत्रता की क्रांतियों के बारे में पढ़ा जिससे प्रोत्साहित होकर देश की स्वतंत्रता में सहयोग प्रदान किया तथा इन अंग्रेजी पढ़े - लिखे वर्ग ने ही अंग्रेजी हथौड़े से अंग्रेजी बेड़िया तोड़ दी। [7]

3) ईसाई धर्म प्रचार - इसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए पाश्चात्यीकरण की नीति अपनायी| उनका विश्वास था कि इस नीति के द्वारा वे भारतियों का अपने धर्म एवं संस्कृति में आस्था को विनष्ट कर देंगे। इन मिशनरियों का साम्राज्यवादियों ने समर्थन किया क्योंकि यह नया ईसाई वर्ग ब्रिटिश वस्तुओं की खपत बढ़ाएगा। उन्होंने भारत में कई अंग्रेजी स्कूल ,कॉलेज खोले तथा धर्मपरिवर्तन भी करवाए। इनका धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ने लगा जिससे भारतीयों का अपने धर्म के प्रति आकर्षण हुआा।[8]

➢ **1813 के अधिनियम में ब्रिटिश का औचित्य** –

1813 के अधिनियम में जो मुक्त व्यापार की शुरूआत की गई वो नेपोलियन के महाद्वीपीय सिद्धांत तथा ब्रिटेन के व्यापारिक पूंजीपति वर्ग के दबाव के कारण हुई, किंतु इस तरह पूरे ब्रिटेन का व्यापार भारत के साथ होने लगा जिससे भारत में ब्रिटेन का तैयार माल बड़ी मात्रा में सस्ते दामों में उपलब्ध होने लगा| इस माल के उपभोक्ता के रूप में अंग्रेजों को भारत में अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति अंग्रेजी सामान का उपभोक्ता बन पाएगा, इसीलिए ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार - प्रसार की छूट दी गई तथा शिक्षा के लिए 1 लाख रू की व्यवस्था भी की गई। इसमें शिक्षा के लिए 1835 में फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया गया ।

➢ **निष्कर्ष** –

1813 के अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए थे वो अंग्रेजों ने केवल स्वयं के हित के लिए किए, किंतु उन प्रावधानों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ| अंग्रेजी पढ़ा - लिखा एक नया क्रांतिकारी वर्ग तैयार हुआ। वे अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए भारतीयों में देशप्रेम की भावना का विकास हुआ। भारतीय अपने धर्म के प्रति जागरूक् हुए जिससे भारतीयों ने अपने धर्म की रूढिवादिता को कम करने की कोशिश की। बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।

संदर्भ सूची :-

1. जागरण जोश , समाचारपत्र, 1813 का चार्टर अधिनियम, 16 नवम्बर , 2015. पृ-2
2. ग्रोवर, बी. एल., मेहता, अलका, यशपाल , आधुनिक भारतीय इतिहास - एक नवीन मूल्यांकन, एस. चंद एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, 14 वां संस्करण, 1997, पृ-11
3. माथुर एण्ड् जैन, आधुनिक विश्व का इतिहास 1500 से 2000 तक, जयपुर, जैन प्रकाशन मंदिर, 24 वाँ संस्करण, 2019, पृ- 226-227
4. Smith, Adam, The Wealth of Nations, An Electronic classics Series Publication. 1776
5. चंद, विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015 पृ -. 80-81
6. अहीर, राजीव, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा.लि. नई दिल्ली, 2017. पृष्ठ क्र. 574
7. चंद, विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015, पृ- 112-113
8. अहीर, राजीव, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा.लि. नई दिल्ली, 2017, पृष्ठ क्र. 570